भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1929**

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: कृषि पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन**

**1929. श्री नवीन जिंदलः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पारम्परिक जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के तुलनात्मक गुण और दोष क्या हैं और किसी विशेष पद्धति अर्थात पारम्परिक, जैविक और प्राकृतिक कृषि को अपनाने पर किसान को कितनी राजसहायता प्राप्त होती है;

(ख) अधिक पर्यावरण हितैषी, पारिस्थितिकी अनुकूल, किसान हितैषी और उपभोक्ता हितैषी कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चयनित नीति के उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पावधि, मध्यावधि एवं दीर्घावधि रणनीतियां क्या हैं, और उनका ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) और (ख):** किसानों द्वारा स्थानीय कृषि जलवायु दशाओं, प्रचलित कृषि पद्धतियों, किसानों की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, बाजारों से जुड़ाव और कृषि-उत्पादों की मांग के अनुसार पारंपरिक, जैविक और प्राकृतिक खेती की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। प्रत्येक कृषि पद्धति विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विविध आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसलिए केंद्रीय रूप से कोई मानकीकृत तुलना नहीं रखी जाती है।

एन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, किसान अनुकूल और उपभोक्ता अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड सहायता देने पर बल देती हैं। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल सतत कृषि प्रणालियों को

बढ़ावा देना है। यह मिट्टी की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ऑन-फार्म पोषक तत्व रिसाइकलिंग को बनाए रखना एवं बढ़ाना सुनिश्चित करती है और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को न्यूनतम करती है। पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जैविक क्लस्टरों में 3 वर्षों में कुल मिलाकर 31,500 रुपये/हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये/हेक्टेयर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए सीधे प्रदान किए जाते हैं, 4,500 रुपये/हेक्टेयर विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए, 3,000 रुपये/हेक्टेयर प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए और 9,000 रुपये/हेक्टेयर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं। एमओवीसीडीएनईआर के तहत किसान उत्पादक संगठन के सृजन, जैविक इनपुट आदि के लिए किसानों को सहायता देने हेतु 3 वर्षों में कुल 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये सहित ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये/हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। दोनों योजनाओं के अंतर्गत किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र का लाभ उठा सकते हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाने की परिकल्पना की गई है। किसानों को प्राकृतिक खेती के इनपुट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, इस मिशन के तहत 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षित किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती पद्धति पैकेज के अभ्यास हेतु इस योजना में 2 साल तक प्रति वर्ष प्रति किसान प्रति एकड़ 4,000 रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक किसान छोटे भू-भाग में प्राकृतिक खेती शुरू कर सकता है और अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र तक सहायता के लिए पात्र है।

**(ग):** वर्ष 2021-2022 से 2025-2026 की अवधि के दौरान पीकेवीवाई योजना के तहत 6.0 लाख हेक्टेयर और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 0.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य परिकल्पित है, जबकि 2022-2023 से 2025-2026 की अवधि के दौरान प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

*****